

बिहार विधान परिषद

(197वां बजट सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

13 मार्च 2021

[शिक्षा - खान एवं भूतत्व - कला, संस्कृति एवं युवा विज्ञान एवं प्रावैधिकी].

Total Short Notice Question- 11

योजना का लाभ कबतक

*65 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):

Will the शिक्षा be pleased to state:-

क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि अनामिका कुमारी, रौल कोड- 16037, क्रमांक- 19030003, सूची संख्या— आर.- 160370077-17, संकाय- आर्ट्स, रामदुलारी जगदीप +2 उच्च विद्यालय, बहुआरा, चांद कैमूर ने वर्ष 2019 में वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है;

(ख) क्या यह सही है कि अनामिका कुमारी ने सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना के अधीन मिलने वाली रु. 25,000 (पच्चीस हजार) के भुगतान हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित की हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अनामिका कुमारी को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना का रु. 25,000 (पच्चीस हजार) का भुगतान कबतक सुनिश्चित करना चाहती है ?

कारगर उपाय

*80 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

Will the शिक्षा be pleased to state:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर नीति आयोग, विश्वबैंक तथा मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा तीस मानकों पर आधारित संयुक्त रूप से तैयार की गयी इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार की रैंकिंग 17वें स्थान पर है, वहीं केरल प्रथम स्थान पर है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो राज्य की रैंकिंग में पिछड़ने का क्या कारण है और सरकार रैंकिंग में आगे होने के लिए क्या कारगर उपाय कर रही है?

श्री चतुर्वेदी के मानदेय का भुगतान

*109 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):

Will the शिक्षा be pleased to state:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि अधोहस्ताक्षरी ने अपने पत्रांक 570, दिनांक 12.12.2020 द्वारा श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी, अतिथि व्याख्याता के मानदेय भुगतान हेतु निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् का ध्यान आकृष्ट किया है;

(ख) क्या यह सही है कि श्री चतुर्वेदी, शिक्षक, कस्तूरबा बालिका +2 विद्यालय पंजिवार, सीवान ने प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, मैरवा, सीवान में मई 2017 से मार्च 2020 तक प्रति सोमवार एवं मंगलवार को अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन किया है और उनका मानदेय 2,64,000/- रुपया लंबित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार श्री चतुर्वेदी के मानदेय का भुगतान कबतक करना चाहती है?

विशेष प्राथमिकता पर विचार

*110 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

Will the शिक्षा be pleased to state:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य में दस परम्परागत विश्वविद्यालय स्थापित

हैं और इन विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ महाविद्यालयों में लंबी अवधि से सहायक प्राचार्य के स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है;

(ख) क्या यह सही है राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षक के स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति होने तक के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर लगभग 1800 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं;

(ग) क्या यह सही है कि अतिथि/अंशकालिक सहायक प्राचार्य की नियुक्ति के लिए योग्यता एवं अर्हता वही होगा जो यू.जी.सी विनियम द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नियमित शिक्षकों के लिए निर्धारित एवं राज्य सरकार द्वारा अंगीभूत है, बावजूद इसके इन शिक्षकों से अधिकतम 25000/- रुपये प्रतिमाह की दर पर सेवायें ली जा रही हैं और इसके अलावा किसी भी प्रकार का लाभ उन्हें नहीं दिया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त शिक्षकों को अन्य लाभ के साथ सेवा विस्तार कर 65 वर्ष करने तथा इनके नियुक्त पदों को छोड़कर शेष रिक्त पदों पर बी.एस.यू.एस.सी द्वारा नियुक्ति किये जाने में विशेष प्राथमिकता देने पर विचार करना चाहती है?

EPF से आच्छादित करने का विचार

*111 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):

Will the शिक्षा be pleased to state:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना (E.P.F) के आच्छादन के क्रम में मदरसा-संस्कृत शिक्षकों को सामूहिक रूप से लागू नहीं किये जाने से बहुत सारे शिक्षक उस लाभ से वंचित रह गये हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मदरसा एवं संस्कृत कोटि के छोटे शिक्षकों को भी कर्मचारी भविष्य निधि योजना (E.P.F) से आच्छादित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सेवा निरंतरता एवं अर्जित अवकाश का प्रावधान

*112 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):

Will the शिक्षा be pleased to state:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता एवं अर्जित अवकाश का प्रावधान Prospective effect से किया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता एवं अर्जित अवकाश नियुक्ति तिथि से देने का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक?

महिला विश्वविद्यालय की संख्या में बढ़ोतरी

*113 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):

Will the शिक्षा be pleased to state:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि देश भर में यूनिवर्सिटीज एवं कॉलेजों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद प्रति लाख छात्रों के मामले में बड़ा राज्य बिहार कहीं पीछे पड़ गया है और यहां प्रति लाख छात्रों पर कॉलेजों की संख्या बहुत ही कम है, जिससे छात्रों के नामांकन में कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में कॉलेजों की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम है, वहीं सिर्फ लड़कियों के लिए संचालित होने वाले कॉलेजों का अनुपात भी कम हुआ है, जिससे विवशतावश लड़कियों को सामान्य कॉलेजों में दाखिल लेना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार लड़कियों की सुगमता के लिए विश्वविद्यालय स्तर से महिला महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की संख्या में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है?

विद्यालय का नामाकरण

*114 प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):

Will the शिक्षा be pleased to state:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड की संतनगर पंचायत के ओलीपुर गांव में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय निर्माण के लिए महादलित परिवार के श्री खुसर सदाय ने लगभग चार कट्टा जमीन खरीदकर सरकार को दी थी;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार जमीन दानदाता के नाम पर विद्यालय का नामाकरण किया जाना है;

(ग) क्या यह सही है कि खुसर सदाय के नाम पर इस विद्यालय का नामाकरण करने का प्रस्ताव वर्षों से लंबित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इस विद्यालय का नाम खुसर सदाय के नाम पर करने हेतु आदेश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

छत का निर्माण

*115 श्री भीसम साहनी (विधान सभा):

Will the शिक्षा be pleased to state:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा-1 में अवस्थित देवी मंगल सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जर्जर अवस्था में दो मंजिला शेड का बना हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि बगहा मुख्यालय में छात्रों के लिये एक मात्र उच्चतर माध्यमिक +2 विद्यालय है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पश्चिमी चम्पारण जिला के बगहा-1 में विद्यालय का शेड हटाकर नयी छत का निर्माण करवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

निर्देश जारी कबतक

*116 श्री गुलाम रसूल (विधान सभा):

Will the शिक्षा be pleased to state:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की अवधि में राज्य के निजी (प्राइवेट) स्कूलों द्वारा मात्र ऑनलाइन क्लास चलाया गया एवं अन्य सभी

गतिविधियां बंद रहीं;

(ख) क्या यह सही है कि लॉकडाउन की अवधि में आम आदमी की आर्थिक स्थिति के बुरी तरह प्रभावित होने के बावजूद इनके द्वारा डेवलेपमेंट फीस, लाईब्रेरी चार्ज, स्मार्ट क्लास चार्ज, कम्प्यूटर फीस इत्यादि शुल्क जबरन लिए जाने के कारण अभिभावकों में भारी रोष है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निजी (प्राइवेट) स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस के अतिरिक्त जबरन ली गई अन्य फीसों का सामंजन/वापस करने हेतु इन स्कूलों को निर्देश जारी करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

बकाये अंतर वेतन का भुगतान

*117 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):

Will the शिक्षा be pleased to state:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि नालंदा जिला अंतर्गत चण्डी प्रखण्ड में कार्यरत प्रखण्ड शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु प्रखण्ड नियोजन इकाई के खाते में भेजी गई राशि की पूर्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अवैध ढंग से निकासी कर ली गई है;

(ख) क्या यह सही है कि शिक्षकों के वेतन मद की राशि की अवैध निकासी के कारण 150 से अधिक प्रखण्ड शिक्षकों के बकाया महंगाई भत्ता के अंतर-वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलाएगी कि शिक्षकों के वेतन मद की राशि की अवैध निकासी करने वाले पूर्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए शिक्षकों के बकाया अंतर-वेतन के भुगतान हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?
